

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/

दिनांक

प्रार्थिनी :-

1.मूमल देवी पत्नि खमीशाराम
जाति मेघवाल,
निवासी गंगपुरा
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.मीरू पुत्र अलीम 2.शाकर पुत्र हुसैन 3.हाजी माहमद
पुत्र अमीर 4.इनात पुत्र सबोज 5.वली पुत्र दादू 6.दोसु
पुत्र हुसैन 7.फजल पुत्र खैरदीन 8.अनवर पुत्र मेहरा,
जाति मुसलमान, निवासी कोनरा 9.जयमल पुत्र भंवरा
10. जामा पत्नि साहु 11.दरिया पत्नि मोहन, जाति
मेघवाल, निवासी बूठ राठोड़ान
11.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 74/2022

दिनांक : 06.01.2023

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठोड़ान के मौजा बूठ राठोड़ान के खेत खसरा सं. 698/253 रकबा 05.2204 हैक्टेयर, खसरा सं. 700/256 रकबा 02.5819 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थआई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थिनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 58 70 61

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थिनी मूमलदेवी
3. विप्रार्थीगण मीरू वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक 06/01/23
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन



(भागीरथ सिम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन